



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-09-05-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त अख्तर कुरैसी को अवैध मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 99/1999 धारा- 8/20 NDPS एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अख्तर कुरैसी पुत्र मजीपुल्ला निवासी 57/81 पक्की बाजार कसाईबाड़ा थाना कैण्ट वाराणसी को थाना जैतपुरा पुलिस व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 09-05-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त अख्तर कुरैसी उपरोक्त को धारा- 8/20 NDPS एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-वाराणसी